



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ६, अंक १२]

मंगळवार, सप्टेंबर ८, २०२०/भाद्र १७, शके १९४२

[पृष्ठे १९, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक २६

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियमों (सातवाँ संस्करण) के नियम ११६ (१) के प्रथम परंतुक के अधीन प्रकाशित किया जाता है :—

L. A. BILL No. XLIII OF 2020.

A BILL

TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN FURTHER SUMS FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE FOR THE SERVICES AND PURPOSES OF THE YEAR ENDING ON THE THIRTY-FIRST DAY OF MARCH 2021.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ४३, सन् २०२०।

विधेयक जिसके द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से मार्च, २०२१ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं के लिए कतिपय अधिकतर रकमों की अदायगी तथा विनियोग को अधिकृत करना है।

क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २०४ के अनुसार, जो कि उसके अनुच्छेद २०५ के साथ पढ़ा जाता है, राज्य की संचित निधि तथा उसमें से मार्च, २०२१ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं के लिए अधिकतर रकमों के विनियोग के लिए यह आवश्यक है कि विनियोग अधिनियम पारित करने तथा उक्त रकमों की अदायगी को अधिकृत करने के प्रयोजनार्थ, उपबंध किया जाये; इसलिए, भारत के गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में, एतद्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र (द्वितीय अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, २०२० कहलाए ।

संक्षिप्त नाम।

राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष २०२०-२०२१ के लिए २ खरब ९० अरब, ८४ करोड़, २ लाख, ७१ हजार रुपये निकालना।

२. राज्य की संचित निधि तथा उसमें से ऐसी रकमें, जो इसके साथ सम्बद्ध अनुसूची के स्तंभ (४) में बताई हुई रकमों से अधिक नहीं होंगी और जो कुल मिलाकर दो खरब, नब्बे अरब, चौरासी करोड़, दो लाख, इकहत्तर हजार रुपयों की रकम के बराबर होंगी, अनुसूची के स्तम्भ (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं तथा प्रयोजनों के सम्बन्ध में, सन् २०२१ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वर्ष में होनेवाले विभिन्न प्रभारों को पूरा करने के लिए अदा की तथा लगाई जायेगी।

विनियोग। ३. इस अधिनियम द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से अदा करने तथा लगाने के लिये प्राधिकृत की गई रकमों का सन् २०२१ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष के सम्बन्ध में, अनुसूची में बताए हुए सेवाओं तथा प्रयोजनों के लिये विनियोग किया जायेगा।

रकमें जो निम्न से अधिक नहीं होंगी					
अनुदान या अन्य विनियोजन का क्रमांक	कार्य तथा उद्देश्य	लेखा शीर्षक	विधानसभा द्वारा स्वीकृत	समेकित निधि पर प्रभारित (४)	कुल
(१)	(२)	(३)	रुपये	रुपये	रुपये
क—राजस्व लेखे पर व्यय					
सामान्य प्रशासन विभाग					
ए-१	राज्यपाल और मंत्री परिषद ।	{ २०१२, राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल/ संघराज्य क्षेत्रों के प्रशासक । २०१३, मंत्री परिषद ।	..	३,०००	३,०००
ए-४	सचिवालय और विविध सामान्य सेवाएँ ।	{ २०५२, सचिवालय—सामान्य सेवाएँ । २०५९, लोकनिर्माण कार्य । २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ । २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ ।	..	८,२५,४३,०००	८,२५,४३,०००
ए-५	सामाजिक सेवाएँ ।	{ २२१६, आवास । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण । २२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ । २२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ ।	..	५,७५,००,०००	५,७५,००,०००
			कुल—सामान्य प्रशासन विभाग ।	३,०००	१४,००,४६,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(४)
		गृह विभाग		
बी-१	पुलिस प्रशासन ।	{ २०१४, न्याय प्रशासन । २०५५, पुलिस । २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ । }	२,४२,९७,३५,०००	२,४२,९७,३५,०००
बी-२	राज्य उत्पादन शुल्क ।	२०३९, राज्य उत्पादन शुल्क ।	१,०८,४०,०००	१,०८,४०,०००
		कुल गृह विभाग ।	२,४४,०५,७५,०००	२,४४,०५,७५,०००
		राजस्व तथा वन विभाग		
सी-१	राजस्व तथा जिला प्रशासन ।	{ २०२९, भू-राजस्व । २०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क । २०५३, जिला प्रशासन । २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ । }	७,७०,०००	७,७०,०००
सी-६	प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत ।	२२४५, प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत ।	२,०००	२,०००
सी-७	वन ।	{ २४०६, वन तथा वन्य जीवन । २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा । २५५१, पहाड़ी क्षेत्र । }	४०,००,००,०००	४०,००,००,०००
		कुल—राजस्व तथा वन विभाग ।	४०,०७,७२,०००	४०,०७,७२,०००

कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग

डी-३	कृषि सेवाएँ।	२४०१, कृषि कर्म। २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।	५२,००,००,०००	५२,००,००,०००
डी-४	पशुपालन।	२४०३, पशुपालन।	७,६५,३३,०००	७,६५,३३,०००
डी-५	दुग्ध उद्योग विकास।	२४०४, दुग्ध उद्योग विकास।	३,१६,१९,४२,०००	३,१६,१९,४२,०००
डी-६	मत्स्य उद्योग।	२४०५, मत्स्य उद्योग।	६५,१७,००,०००	६५,१७,००,०००
		कुल—कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।	४,४१,०१,७५,०००	४,४१,०१,७५,०००

विद्यालय शिक्षा तथा क्रीडा विभाग

इ-३	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ। २४०६, वन तथा वन्य जीवन।	१,०००	१,०००
		कुल—विद्यालय शिक्षा तथा क्रीडा विभाग।	१,०००	१,०००

वित्त विभाग

जी-१	विक्रय कर प्रशासन।	२०२०, आय तथा व्यय पर कर संग्रहण। २०४०, विक्रय, व्यापार आदि पर कर। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	२,०००	२,०००
जी-५	कोषागार तथा लेखा प्रशासन।	२०५४, कोषागार तथा लेखा प्रशासन।	२१,१९,०००	२१,१९,०००
		कुल—वित्त विभाग।	२१,२१,०००	२१,२१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)			
			रुपये	रुपये			
एच-६	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवन।	लोकनिर्माण कार्य विभाग २०५९, लोकनिर्माण कार्य । २२०२, सामान्य शिक्षा । २२०३, तकनीकी शिक्षा । २२०५, कला तथा संस्कृति । २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य । २२१७, नगरविकास । २२३०, श्रम तथा नियोजन । २४०३, पशुपालन । २४०५, मत्स्योद्योग ।	१,०००	१,०००			
				१,०००			
			कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग ।				
			१,०००	१,०००			
			आय-३	सिंचाई, विद्युत तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	जलस्रोत विभाग २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण । २४०६, वन तथा वन्य जीवन । २७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई । २७०२, लघु सिंचाई । २७०५, कमान क्षेत्र विकास । २७११, बाढ़ नियंत्रण और विकास । २८०१, विद्युत । ३४०२, अन्तरिक्ष अनुसंधान	५,४०,०००	५,४०,०००
							५,४०,०००
						कुल—जलस्रोत विभाग ।	
						५,४०,०००	५,४०,०००

विधि तथा न्याय विभाग

जे-१	न्याय प्रशासन ।	..	२०१४, न्याय प्रशासन ।	..	१,०३,०६,०००		१,०३,०६,०००
जे-२	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक तथा आर्थिक सेवाएँ ।		२०५२, सचिवालय—सामान्य सेवाएँ ।				
			२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ ।				
			२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।				
			२२५०, अन्य सामाजिक सेवाएँ ।				
			२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।				
			३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ ।				४,८१,४४,०००
			कुल—विधि तथा न्याय विभाग ।				५,८४,५०,०००

ग्रामविकास विभाग

एल-३	ग्राम विकास कार्यक्रम ।	..	२०५१, लोकनिर्माण कार्य ।	..	८,२५,७३,००,०००		८,२५,७३,००,०००
			२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।				
			२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।				
			२४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा ।				
			२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।				
			२५०५, ग्राम नियोजन ।				
			२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।				
			२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।				
			३०५४, सड़क तथा पुल ।				
			कुल—ग्रामविकास तथा जलसंरक्षण विभाग ।				८,२५,७३,००,०००

खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग

एम-२	खाद्य, भांडारकरण तथा गोदाम ।	..	२४०८, खाद्य, भांडारकरण तथा गोदाम ।	..	३,०१,४६,०१,०००		३,०१,४६,०१,०००
			कुल—खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग ।				३,०१,४६,०१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
		सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग	रुपये	रुपये
एन-३	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	२२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१७, नगरविकास। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण। २४०१, कृषि कर्म। २४०२, मृदा तथा जलसंरक्षण। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्योद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४०८, खाद्य भंडारकरण तथा गोदाम। २४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम। २५०१, ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन।	८,५६,१५,१९,०००	८,५६,१५,१९,०००

क्र.सं.	विवरण	प्रस्तावित व्यय (₹)	अनुमानित व्यय (₹)	कुल व्यय (₹)
२८०१, विद्युत।	कुल—सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग।	८,५६,१५,१९,०००	८,५६,१५,१९,०००	८,५६,१५,१९,०००
२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा।				
२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।				
२८५२, उद्योग।				
२५०५, ग्राम नियोजन।	५०,००,००,०००	५०,००,००,०००	५०,००,००,०००	
२२०२, सामान्य शिक्षा।	अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	१,०००	१,०००	१,०००
२२०३, तकनीकी शिक्षा।				
२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ।				
२२०५, कला तथा संस्कृति।				
२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।				
२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।				
२२१७, नगर विकास।				
२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,				
२२३०, श्रम तथा नियोजन।				
२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।				
२२३६, पोषण।				
२४०३, पशुपालन।				
२४०५, मत्स्य उद्योग।				
२४०६, वन तथा वन्य जीवन।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
			रुपये	रुपये
		२४२५, सहकारिता । २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम । २७०२, लघु सिंचाई । २८०१, विद्युत । २८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा । २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग । ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह । ३०५४, सड़क तथा पुल । ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ । ३४५२, पर्यटन । ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन । २२०२, सामान्य शिक्षा । २२०३, तकनीकी शिक्षा । २२०४, क्रीडा तथा युवा सेवाएँ । २२०५, कला तथा संस्कृति । २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य । २२११, परिवार कल्याण । २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता । २२१७, नगर विकास । २२२०, सूचना तथा प्रचार । २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण । २२३०, श्रम तथा नियोजन । २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण । २२३६, पोषण ।	...	३,०००
ओ-५६	जिला योजना - लातूर ।		...	३,०००

२४०३, पशुपालन ।
२४०५, मत्स्य उद्योग ।
२४०६, वन तथा वन्य जीवन ।
२४२५, सहकारिता ।
२५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम ।
२७०२, लघु सिंचाई ।
२८०१, विद्युत ।
२८१०, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।
२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग ।
३०५४, सड़क तथा पुल ।
३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ ।
३४५२, पर्यटन ।
३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज

संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन ।

कुल—नियोजन विभाग ।..

५०,००,०४,०००

....

५०,००,०४,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)
संसदीय कार्य विभाग			
पी-१	सचिवालय—सामान्य सेवाएँ।	.. २०५२, सचिवालय—सामान्य सेवाएँ।	१,०००
		..	१,०००
		कुल—संसदीय कार्य विभाग।	१,०००
आवास विभाग			
क्यू-२	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।	.. २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।	३२,६२,०००
		..	३२,६२,०००
		कुल—आवास विभाग।	३२,६२,०००
लोकस्वास्थ्य विभाग			
आर-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	{ २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	१६,४०,५०,६३,०००
		..	१६,४०,५०,६३,०००
		कुल—लोकस्वास्थ्य विभाग।	१६,४०,५०,६३,०००
चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग			
एस-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	.. २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	३,६२,९९,६२,०००
		..	३,६२,९९,६२,०००
		कुल—चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग।	३,६२,९९,६२,०००

जनजाति विकास विभाग

२०५९,	लोक निर्माण कार्य ।
२२०२,	सामान्य शिक्षा ।
२२०४,	क्रीडा तथा युवा सेवाएँ ।
२२१०,	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य ।
२२११,	परिवार कल्याण ।
२२१५,	जलआपूर्ति तथा स्वच्छता ।
२२१७,	नगर विकास ।
२२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण ।
२२३०,	श्रम तथा नियोजन ।
२२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण ।
२४०१,	कृषि कर्म ।
२४०२,	मृदा तथा जल संरक्षण ।
२४०३,	पशुपालन ।
२४०५,	मत्स्योद्योग ।
२४०६,	वन तथा वन्यजीवन ।
२४२५,	सहकारिता ।
२४३५,	अन्य कृषि कार्यक्रम ।
२५०१,	ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम ।
२५०५,	ग्राम नियोजन ।
२७०२,	लघु सिंचाई ।
२८०१,	विद्युत ।
२८१०,	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा ।
२८५१,	ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग ।
२८५२,	उद्योग ।
३०५४,	सड़क तथा पुल ।
३०५५,	सड़क परिवहन ।

टी-५ जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर राजस्व व्यय ।

.. १,७५,३६,०५,००० १,७५,३६,०५,०००

कुल—जनजाति विकास विभाग ।

.. १,७५,३६,०५,००० १,७५,३६,०५,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)
		रुपये	रुपये
वी-२ सहकारिता।	सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग		
	२०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।	{	...
	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।		
	२४२५, सहकारिता।		
	२४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम।		
	२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग।		
	२८५२, उद्योग।		
	३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।		
	३४५६, सिविल अपूर्ति।		
	कुल—सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग।		
उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग			
डब्ल्यू-४ कला तथा संस्कृति।	२२०५, कला तथा संस्कृति।	१,३३,५२,०००	१,३३,५२,०००
डब्ल्यू-६ सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	२२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	१,०००	१,०००
	कुल— उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग	१,३३,५३,०००	१,३३,५३,०००
महिला तथा बाल विकास विभाग			
एक्स-१ सामाजिक सुरक्षा तथा पोषण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	{	...
	२२३६, पोषण।		
	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।		
	कुल— महिला तथा बाल विकास विभाग।	४,६०,२५,५२,०००	४,६०,२५,५२,०००

कुशलता विकास तथा उद्यम विभाग

२२०३, तक्नीकी शिक्षा।	२२०३, तक्नीकी शिक्षा।	२२०३, तक्नीकी शिक्षा।	२२०३, तक्नीकी शिक्षा।	२२०३, तक्नीकी शिक्षा।	२२०३, तक्नीकी शिक्षा।
२२३०, श्रम तथा नियोजन।	२२३०, श्रम तथा नियोजन।	२२३०, श्रम तथा नियोजन।	२२३०, श्रम तथा नियोजन।	२२३०, श्रम तथा नियोजन।	२२३०, श्रम तथा नियोजन।
२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।
२२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ।	२२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ।	२२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ।	२२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ।	२२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ।	२२५१, सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ।
२४०६, वन तथा वन्य जीवन।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।	२४०६, वन तथा वन्य जीवन।

कुल— कुशलता विकास तथा उद्यम विभाग।

६७,७६,३३,०००

महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय

जेड ग-१ संसद/राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधान मंडल। २०११, संसद/राज्य/संघराज्य क्षेत्र विधान मंडल।

१,०००

कुल— महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय।

१,०००

पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग

जेड घ-४ सचिवालय और अन्य सामाजिक सेवाएँ।

२४०६, वन तथा वन्य जीवन।
३४५२, पर्यटन।

१,०००

कुल— पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग।

१,०००

अल्पसंख्यक विकास विभाग

जेड ड-१ अल्पसंख्यक विकास।

२०५२, सचिवालय-सामान्य सेवाएँ।
२०५३, जिला प्रशासन।
२०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।
२२०५, कला तथा संस्कृति।
२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।
२४०६, वन तथा वन्य जीव।

१,०००

कुल— अल्पसंख्यक विकास विभाग।

१,०००

मृदा तथा जल संरक्षण विभाग

जेड ज-४ सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।

३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।

१,०००

कुल— मृदा तथा जल संरक्षण विभाग।

१,०००

कुल — क-राजस्व लेखे पर व्यय।

१,६०,७१,८७,६०,०००

३,०००

१,६०,७१,८७,६३,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
	ख-पूँजीगत लेखे पर व्यय		रुपये	रुपये
	विद्यालय शिक्षा तथा क्रीडा विभाग			
ई-४	शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत	४२०२, शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय।	७६,६३,७७,०००	७६,६३,७७,०००
		कुल—विद्यालय शिक्षा तथा क्रीडा विभाग	७६,६३,७७,०००	७६,६३,७७,०००
	नगरविकास विभाग			
एफ-५	सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।	४२१७, नगरविकास पर पूँजीगत परिव्यय।		
		५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।	५,००,००,००,०००	५,००,००,००,०००
		कुल—नगर विकास विभाग	५,००,००,००,०००	५,००,००,००,०००
	वित्त विभाग			
जी-९	लोक ऋण तथा अन्तर राज्य समझौता।	६००३, राज्य सरकार का आंतरिक ऋण।	१,२०,००,००,००,०००	१,२०,००,००,००,०००
		६००४, केंद्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम।	...	...
		७८१०, अंतर राज्य समझौता।	...	...
		कुल—वित्त विभाग।	१,२०,००,००,००,०००	१,२०,००,००,००,०००
	लोक निर्माण कार्य विभाग			
एच-७	सामाजिक सेवाओं तथा अन्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय।	४२१६, आवास पर पूँजीगत परिव्यय।	...	...
		४७११, बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय।	५०,००,००,०००	५०,००,००,००,०००
		५०५४, सड़क तथा पुल पर पूँजीगत परिव्यय।	...	...
		४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय।	...	...
		४२०२, शिक्षा, क्रीडा, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय।	...	...
		४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय।	...	...

एच-८ लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक

तथा कार्यविषयक भवनों
पर पूंजीगत परिव्यय।

४२१७,	नगर विकास पर पूंजीगत परिव्यय।	..	...	...	...
४२२५,	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	..	१,०००	...	१,०००
४२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।				
४२५०,	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग।		..	५०,००,०१,०००	...	५०,००,०१,०००

जलस्रोत विभाग

४४०२,	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय।	..	३,०५,००,००,०००	...	३,०५,००,००,०००
४७०१,	बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।				
४७०२,	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।				
४७११,	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
४८०१,	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।				
कुल—जलस्रोत विभाग।		..	३,०५,००,००,०००	...	३,०५,००,००,०००

आय-५ सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।

अनुसूची—समाप्त

(१)	(२)	(३)	(४)	रुपये	रुपये
के-११	ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय।	उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग ४८०१, विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ६८०१, विद्युत परियोजनाओं के लिए कर्ज।	..	२३,५१,३०,०००	२३,५१,३०,०००
		कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग।	..	२३,५१,३०,०००	२३,५१,३०,०००
ओ-१०	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।	योजना विभाग अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय।	..	३२,००,००,०००	३२,००,००,०००
		कुल—योजना विभाग।	..	३२,००,००,०००	३२,००,००,०००
आर-३	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय।	लोकस्वास्थ्य विभाग ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय।	..	२५,००,००,०००	२५,००,००,०००
		कुल—लोकस्वास्थ्य विभाग।	..	२५,००,००,०००	२५,००,००,०००
		कुल—ख-पूंजीगत लेखे पर व्यय।	..	१०,१२,१५,०८,०००	१,३०,१२,१५,०८,०००
		कुल योग।	..	१,७०,८४,०२,६८,०००	२,९०,८४,०२,७१,०००

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य।

प्रस्तुत विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४ के अनुसरण में राज्य की समेकित निधि में से २०२०-२१ वर्ष के लिए, कतिपय सेवाओं तथा प्रयोजनों पर अनुपूरक व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित धन के विनियोग का उपबंध करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

रकमें नीचे दर्शायी गई है :—

रुपये		
(क)	राजस्व व्यय	१,६०,७१,८७,६३,०००
(ख)	पूँजीगत व्यय	१,३०,१२,१५,०८,०००
कुल		२,९०,८४,०२,७१,०००

मुंबई,
दिनांकित ८ सितम्बर, २०२०।

अजित पवार,
उप-मुख्यमंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।